न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–93/2026 संगणक पंजियन संख्या–1472/2026

UPGZ010033762026

तैय्यब पुत्र नजर सैफी, निवासी–म०नं०–बी–54, 55 छोटी मजीत मोदनगर, जिला–गाजियाबाद--------------------------------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य--------------------------------अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–49/2026
धारा–8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–मोदीनगर, गाजियाबाद

20.03.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०–49/2026 धारा–8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से नैईम पुत्र आविद अली का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) के सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त की जिस स्थान से गिरफ्तारी दिखायी गयी है वह एक भीड़भाड़ वाला स्थल है फिर भी अभियुक्त के विरुद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त के पास से आरोपित नशीला पदार्थ बरामद नहीं किया गया है, जो भी बरामदगी दर्शित है वह थाना हाजा की पुलिस द्वारा झूठी एवं फर्जी दर्शायी गयी है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है। थाना हाजा की पुलिस द्वारा धारा–50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है। अतः जमानत की याचना की गयी।

5– अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि सह–अभियुक्त मुस्तफा के कब्जे से 754 ग्राम अवैध गांजा तथा सह–अभियुक्त अय्यूब के कब्जे से 810 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है तथा उक्त सह–अभियुक्तगण द्वारा उक्त बरामद गांजा आवेदक अभियुक्त द्वारा खरीदकार लाना कहा है। आवेदक अभियुक्त भी उक्त सह–अभियुक्तगण के साथ नशीले पदार्थ के अवैध कार्य में संलिप्त है। अतः आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को

खारिज किया जाये।

6– उभयपक्ष के तर्कों व थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में फर्द बरामदगी के अनुसार सह–अभियुक्त मुस्तफा के कब्जे से पुलिस हमराही बल द्वारा 754 ग्राम अवैध गांजा तथा सह–अभियुक्त अय्यूब के कब्जे से 810 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया जाना दर्शित है तथा उक्त सह–अभियुक्तगण द्वारा पुलिस हमराही बल को यह बताया गया है कि यह गांजा उनका भाई तैय्यब खरीदकर लाता है। आवेदक अभियुक्त तैय्यब की गिरफ्तारी आपराधिक घटनास्थल से नहीं हुई है बल्कि सह–अभियुक्तगण को अभिकथनों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी बरामदगी की तिथि के पश्चात् किया जाना दर्शित है। थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत आख्या अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास पंजीकृत होना दर्शित नहीं है। सह–अभियुक्तगण मुस्तफा व अय्यूब का जमानत आवेदन हस्तगत न्यायालय द्वारा दिनांकः 16.02.2026 को स्वीकृत किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदक अभियुक्त के कब्जे से बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा आदि को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें दौरान जाँच एवं विचारण मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त तैय्यब की ओर से मु०अ०सं०–49/2026 धारा–8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–मोदीनगर, जिला गाजियाबाद प्रस्तुत जमानत आवेदन सं०–98/2926 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त अंकन 50,000/–रुपए के व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय, सक्षम प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये–

(i) आवेदक/अभियुक्त जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

(ii) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(v) आवेदक/अभियुक्त वाद के विचारण के दौरान साक्ष्यों से जिरह, बयान 313 द.प्र.स. तथा बहस के स्तर पर कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,
गाजियाबाद।
J.O. Code– UP6480